शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण / तत्काल
संख्या–3099/VI(1)/2017–30(व0नि0स0)/2017

प्रेषक,

सविन बंसल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

2. **प्रमुख सचिव,**
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3. **जिलाधिकारी,**
रूद्रप्रयाग।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

विषयकः–गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग एवं केदारनाथ धाम परिसर में कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर आहूत सिंचाई विभाग की व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 में लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत नियमों में शिथिलता का प्रस्ताव पर्यटन विभाग द्वारा उच्चादेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

2– उपरोक्त के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–3619/III(2)/39(प्रा0आ0)/2017, दिनांक 22 नवम्बर, 2017, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–2601/II–2/2017–3(11)/2017 टी0सी0, दिनांक 21 नवम्बर, 2017 एवं जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–714/34–05/(2017–18), दिनांक 15 नवम्बर, 2017 पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम–71(4) के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग एवं केदारनाथ धाम परिसर में कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो को विशेष परिस्थियों एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत नियमों में निम्नानुसार छूट/शिथिलता मात्र 01 वर्ष हेतु निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1. गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक के पैदल मार्ग एवं श्री केदारनाथ धाम परिसर में कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3(10)

ई–मेल : tourism2015section@gmail.com

के अनुसार बड़े कार्यो को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित न किये जाने सम्बन्धी नियम में इस सीमा तक शिथिलता प्रदान की जाती है कि इन कार्यो PWA (Piece Work Agreement) के अन्तर्गत अधिकम 04 (चार) टुकड़ों में विभाजित किया जा सकेगा।

2. निर्माण कार्यो हेतु जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर कार्य कराये जाने की अनुमति होगी।
3. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3(2) जिसके अनुसार समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जायेंगी, में निर्माण कार्यो हेतु निविदा प्रणाली से छूट इस सीमा तक दी जा रही है कि नियम–10(5) के अनुसार विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा हेतु निर्धारित दो सप्ताह की समयावधि, एक सप्ताह होगी।
4. निर्माण कार्यो कों विभाग आवश्यकतानुरूप औचित्य के आधार पर विभागीय पद्धति पर करा सकेंगे।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–909/XXVII(7)/2017, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सविन बंसल)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. प्रमुख अभियनता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

ई–मेल : tourism2015section@gmail.com